

महाराष्ट्र शासन निर्देश मंडल नागपुर १६ नागपुर जिला धरम
॥ प्रतिवेदन ॥

प्रति,

मंडल विभाग, अधिकारी (१)
नागपुर

विषय : धरम जॉय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कायदा।

— ०० —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शावेर मिश्र पिता मंगलधर पारि-धुरवा निवासी ग्राम-धनियालुर के ३५५ ग्राम-धनियालुर ज.नं. ०५ राज.नि.म. नागपुर स्थित ग्राम ज.नं. ८१५, ८३० रकबा ३५५. ०.५६०, ०.१२० ई. में स्थित एक के जाने ईउ मनुमती चाहने जाकर शावेर प्रस्तुत किया वे संवत् में शावेर एवं उपस्थित आगवासियों की उपस्थिति में मौद जॉय राज्य विभाग एवं वन विभाग के दर्ज. के द्वारा किया गया। मौद के मनुमती मौद में ज.नं. ८३० में सागोन-३, तेंदू-२ समली-३, राम-२, मनुमा-१, अलाह-२ कुल १२ एवं एवं ज.नं. ८१५ में सागोन-३१, राम-३ मनुमा-६, तेंदू ४ समली-१० कुल ५०-२ कुल-३६ रह रहे हैं। जिसका शल्ल शल्ल ज.नं. ८३० के मनुमती प्रपत्र-१ तैयार किया गया एवं शावेर की भांग एवं परीक्षा के शाबाह पर को जाके योग्य रहने की जावकारी माला शल्ल ज.नं. के मनुमती प्रपत्र-२ में तैयार किया गया है। शिव. प्रतिवेदन अधिकारी कार्यवाही लाइर वरुणेश्वरी

संलग्न : प्रपत्र-२

पंजीनामा

प्रपत्र-१ ज.नं. ८१५, ८३०

प्रपत्र-२ ज.नं. ८१५, ८१३

अमर
महाराष्ट्र
नागपुर

अमर
महाराष्ट्र
वन विभाग